

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

—:—

क० 1480/आर 815/11/ब-1/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/10/2013

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
समस्त विभाग  
मंत्रालय।

विषय: वर्ष 2013-14 की बजट गतिविधियां एवं वर्ष 2014-15 के बजट की  
तैयारी के संबंध में।

संदर्भ: इस विभाग का ज्ञाप क० 1019/815/ब-1/चार/2011, दि० 07.08.13

—:—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि निकट भविष्य में वित्तीय वर्ष 2013-14 का पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ की जानी है। इस तैयारी के तहत आयोजना मद में बजट प्रावधान हेतु आयोजना सीमा की उपलब्धता, सक्षम वित्तीय समिति का अनुमोदन आवश्यक है। इसी के साथ ही केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि का निर्धारण भी अनिवार्य है। अतः वर्ष 2013-14 का पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान तैयार करने हेतु पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र अनुसार जानकारी (आयोजना मद की) वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(शोभित जैन)

अपर सचिव एवं संचालक बजट  
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरन्तर.....

//2//

पृ०क० 181/आर 815/11/ब-1/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 09/10/2013

1. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
  2. आयुक्त कोष एवं लेखा, म०प्र०भोपाल।
  3. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी। समस्त विभाग, म०प्र०शासन।
  4. महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर।
  5. वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
  6. समस्त अवर सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
  7. स्टाफ आफिसर /निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/  
अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, वित्त विभाग।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु



(राजेश सिंह)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

### आयोजना हेतु

(राशि लाख में)

क्र.	बजट के अनुसार शीर्ष	12th FYYP के (12-13) से 16-17 के लिये योजना पर संक्षम वित्तीय समिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है अथवा नहीं (हाँ/नहीं)	अगर हाँ तो कार्यवाही विवरण संलग्न करें, (हाँ/नहीं)	वर्ष 12-13 के लिए संक्षम वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित राशि	वर्ष 12-13 का वास्तविक व्यय	क्र 0-5 अनुसार अनुमोदित राशि एवं राज्यांश	राज्यांश	केन्द्रांश	वर्ष 12-13 में प्राप्त केन्द्रांश राशि	वर्ष 12-13 में केन्द्रांश राशि	वर्ष 12-13 में केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण राज्यांश से अधिक व्यय की गई है (हाँ/नहीं)	क्र 10 में अंतर हो तो क्या वित्त विभाग से इस हेतु सहमति प्राप्त की गयी है ?	क्र 0 3 में उत्प्रेषणानुसार वर्ष 13-14 के लिए संक्षम वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित राशि	वर्ष 13-14 के लिए बजट प्रावधान	वर्ष 14-15 के लिए संक्षम वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित राशि	वर्ष 14-15 के लिए निर्धारित आयोजना सीमा (अगर सीमा तय कर दी गई है तो)	वर्ष 14-15 के लिए प्रस्तावित बजट प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

(बजट नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर)